आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी

मण्डल :बरेली,जनपद :पीलीभीत,तहसील :बीसलपुर

वाद संख्या :-08829/2022

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202212560208829

शफी खां मेमोरियल मुस्लिम एजूकेशनल सोसाइटी बीसलपुर द्वारा अध्यक्ष मलका वेगम बनाम सरकार

अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

24–09–2022

प्रश्नगत वाद शफी खॉ मैमोरियल मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी बीसलपुर द्वारा अध्यक्ष मलका बेगम पत्नी अनीस अहमद खॉ निवासी मो0 हबीबुल्ला खॉ जनूबी बीसलपुर द्वारा भूमि खाता संख्या 26 गाटा संख्या 39/2 रकवा 0.2205है0 स्थित ग्राम कस्बा पट्टी, परगना व तहसील बीसलपुर जिला पीलीभीत को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 21–05–2022 पर तहसीलदार बीसलपुर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 15–08–2022 के आधार पर योजित हुआ।

प्रश्नगत प्रकरण में तहसीलदार बीसलपुर से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार बीसलपुर ने अपनी आख्या दिनांक 15–08–2022 में अवगत कराया गया है कि ग्राम कस्बा पट्टी स्थित भूमि खाता संख्या 26 गाटा संख्या 39/2 रकवा 0.2205है0 पर आवेदक के नाम श्रेणी–1क संक्रमणीय भूमिधर के अन्तर्गत राजस्व अभिलेखों में अंकित है। प्रश्नगत गाटा संख्या पर कृषि कार्य नही हो रहा है। प्रश्नगत भूमि की मालियत जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार सरकारी मालियत 1,51,00,000–00(रूपया एक करोड इक्यावन लाख मात्र) प्रति हेक्टेयर की दर से रू0 33,29,550–00 (रूपया तैंतीस लाख उन्तीस हजार पॉच सौ पचास मात्र) होती है। तहसीलदार बीसलपुर ने अपनी आख्या दिनांक 15–08–2022 में यह भी अवगत कराया है कि प्रश्नगत भूमि धारा 132 के अर्न्तगत सार्वजनिक उपयोग की नही है। भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। भूमि किसी योजना के अर्न्तगत अधिग्रहीत नहीं है तथा किसी बैंक अथवा संस्था में बन्धक नहीं है। प्रश्नगत भूमि खाता संख्या 26 गाटा संख्या 39/2 रकवा 0.2205है0 स्थित कस्बा पट्टी परगना व तहसील बीसलपुर जिला पीलीभीत को आवेदक से नियमानुसार शुल्क रूपया 66592/– (रूपया छियासठ हजार पॉच सौ बानवे मात्र) जमा कराकर अकृषिक घोषित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या प्रस्तुत की है।

प्रश्नगत भूमि की मालियत जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार सरकारी मालियत 1,51,00,000–00(रूपया एक करोड इक्यावन लाख मात्र) प्रति हेक्टेयर की दर से रू0 33,29,550–00 (रूपया तैंतीस लाख उन्नतीस हजार मात्र) होती है। आवेदक द्वारा जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार **उद्घोषणा शुल्क** के रूप में धनराशि रू0 66592–00 (रूपया छियासठ हजार पॉच सौ बानवे मात्र) राजकोष में जमा कर चालान संख्या **IG00014** दिनांक **16–09–2022** व **न्याय शुल्क** के रूप में धनराशि रू0 66592–00 (रूपया छियासठ हजार पॉच सौ बानवे मात्र) राजकोष में जमा कर चालान संख्या **IG00013** दिनांक **16–09–2022** को जमा कर चालान की मूलप्रति प्रस्तुत की है। तहसीलदार बीसलपुर द्वारा दिनांक 15–08–2022 को प्रस्तुत की गयी आख्या के आधार पर उक्त भूमि उ0प्र0राजस्व संहिता की धारा 80(2)के अर्न्तगत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः तहसीलदार बीसलपुर द्वारा प्रस्तुत की गयी जॉच आख्या दिनांक 15–08–2022 के आधार परशफी खॉ मैमोरियल मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी बीसलपुर द्वारा अध्यक्ष मलका बेगम पत्नी अनीस अहमद खॉ निवासी मो0 हबीबुल्ला खॉ जनूबी बीसलपुर द्वारा भूमि खाता संख्या 26 गाटा संख्या 39/2 रकवा 0.2205है0 स्थित ग्राम कस्बा पट्टी, परगना व तहसील बीसलपुर जिला पीलीभीत को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 21–05–2022 अर्न्तगत धारा 80 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 यथा संशोधित Ordinance 2019 dated 10 march 2019 80(2) स्वीकार किया जाता है तथा भूमि को औद्योगिक/आवासीय प्रयोजन हेतु अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार बीसलपुर को राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने हेतु तथा उपनिबन्धक बीसलपुर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक– **24–09–2022**

(ऋषिकान्त राजवंशी),
उप जिलाधिकारी
बीसलपुर।

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
न्यायालय उपजिलाधिकारी
बीसलपुर (पीलीभीत)